राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक प. 6(6)राज–6/92–पार्ट/12 जयपुर, दिनांकः– 16.5.2007

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2.4.2007 को राजस्थान भू–राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 जारी किये जा चुके है जिसका राजपत्र में प्रकाशन भी दिनांक 3.4.2007 को जारी किया जा चुका है। इन नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी/परियोजना, वाणिज्य प्रयोजन, औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक प्रयोजन, लोकोपयोगी प्रयोजन, संस्थान, चिकित्सा सुविधाओं के लिये संपरिवर्तन के मामले राज्य सरकार के समक्ष नियम–9 के अनुसार प्रपत्र "अ" में प्रस्तुत किये जायेंगे।

इस हेतु राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण योग्य प्रकरणों में प्रार्थना पत्र नियमों के प्रपत्र "अ" में शासन सचिवालय, राजस्व (ग्रुप–9) विभाग में प्रस्तुत किये जायेंगे जिनका विभाग में रखे रजिस्टर में इन्द्राज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्राप्ति की रसीद दी जायेगी तथा रजिस्टर का क्रमांक अंकित किया जायेगा।

प्रार्थना पत्र का सक्षम स्तर से परीक्षण करने पर यदि कोई कमी अथवा त्रुटि पाई जाती है तो सम्बन्धित जिला कलेक्टर को लिखते हुए इसकी सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उसके द्वारा दिये गये पते पर दी जायेगी तथा उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह 15 दिवस में उन कमियों को दूर करें तथा यदि कोई त्रुटि हो तो उसके सम्बन्ध में 15 दिवस में अपना जवाब स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से राजस्व विभाग में प्रस्तुत करें। यदि इस अवधि में कोई कमी पूर्ति नहीं की जाती है अथवा जवाब नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि प्रार्थी को अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करना है।

परीक्षण उपरान्त कार्यालय द्वारा रूपान्तरण योग्य एवं निरस्तीकरण योग्य सभी प्रार्थना पत्र स्थायी आदेशों के अनुरूप विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। तत्पश्चात् विहित प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों के अनुरूप प्रार्थना पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जायेगा।

राजस्थान भू–राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर के यहां विचाराधीन सभी प्रकरणों में निर्देश दिये जाते है कि जिला कलेक्टर, राजस्थान भू–राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत जिन प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी राज्य सरकार है, उन सभी मामलों में नियम 2007 के अन्तर्गत सम्पूर्ण जांच व तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर अपनी अनुशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवायें।

प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की दशा में संपरिवर्तन आदेश, संपरिवर्तन के प्रयोजन में परिवर्तन, संशोधित संपरिवर्तित आदेश, प्रपत्र "ब", प्रपत्र "स", प्रपत्र "द" में राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् जिला कलेक्टर द्वारा जारी किये जायेंगे।

(के.जी. अग्रवाल) 16.5.07
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
4. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।

शासन उप सचिव 16.5.07